/

पत्रांक–1–प्रा0आ0(2)–24 / 2006.................. / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय– अग्निकांड होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो गया है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। अग्निकांड की घटनाऍ होने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है ।

अतएव, अनुरोध है कि अग्निकांड की घटना होने पर जिले में उपलब्ध निधि से तुरंत राहत पहुँचाने की कार्रवाई की जाय, ताकि ससमय अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान किया जा सके।

इस संबंध में संशोधित मानदर के आलोक में विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है । जबतक संशोधित मानदर की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दे दी जाती तबतक विभागीय पत्रांक –2462 दिनांक –12.08.07 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में ही अग्निपीड़ितों को साहाय्य उपलब्ध कराया जाएगा ।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक –1–प्रा0आ0(2)–24 / 2006.....885.. / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 21/3/12

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

FAX

प्रधान सचिव